



# दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

मुख्यालय, नई दिल्ली-110001

THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LIMITED

Corporate Office, New Delhi-110001

## कार्मिक प्रभाग (राजभाषा अनुभाग)

सं.: एसटीसी/मुख्या./का.प्र./रा.भा./10020/2015

दिनांक : 30.08.2017


## “हिन्दी में काम करें और देश का गौरव बढ़ाएँ”

आदेश सं.: का.प्र./रा.भा./100 /2017

विषय: हिंदी विज्ञापनों पर किए गए व्यय के संबंध में।

\*\*\*\*\*

1. संसदीय राजभाषा समिति की 9वीं रिपोर्ट में हिंदी विज्ञापनों पर किए जाने वाले के संबंध में की गयी संस्तुतियों पर जारी राष्ट्रपति जी के आदेश के अनुसार “मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों आदि द्वारा जो भी विज्ञापन अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषाओं में दिये जाते हैं, उन्हें हिंदी में अनिवार्य रूप से दिया जाएगा”।
2. विज्ञापन जारी करने के संबंध में जनसंपर्क एवं विज्ञापन प्रभाग को जाँच-बिंदु बनाया गया है। अतः महामहिम राष्ट्रपति जी के उपर्युक्त आदेश के उल्लंघन के लिए प्रभागाध्यक्ष (जनसंपर्क एवं विज्ञापन प्रभाग) जिम्मेदार होंगे और इसका विधिवत् अनुपालन सुनिश्चित करना संबंधित प्रभागाध्यक्ष/शाखा प्रबंधक का दायित्व होगा।
3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

  
(डॉ. जगदीश प्रसाद)

मुख्य प्रबंधक (राजभाषा)/राजभाषा प्रमुख

प्रति:

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के कार्यकारी सचिव
- सभी निदेशकों एवं मु.स.अ. के निजी सचिव
- सभी प्रभागाध्यक्ष/शाखा प्रबंधक
- प्रभागाध्यक्ष (जनसंपर्क एवं विज्ञापन प्रभाग)

17 फ



# दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

मुख्यालय, नई दिल्ली-110001

**THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LIMITED**

Corporate Office, New Delhi-110001

Personnel Division (Rajbhasha)

NO.: STC/CO/Pers./OL/10020/2015

Dated: 30.08.2017


## “हिन्दी में काम करें और देश का गौरव बढ़ाएँ”

Order No.: PD/OL/ 100 /2017

Sub: **With regard to expenditure on Hindi Advertisements.**

\*\*\*\*\*

1. As per Presidential Order with regard to expenditure on Hindi Advertisements on the recommendations made by the Committee of Parliament on Official Language in its 9<sup>th</sup> Report, **“The advertisements which are released by the Ministries/Departments/Offices/Undertakings etc., in English/Regional Languages, those will compulsorily be released in Hindi”**.
2. With regard to release of advertisements, Public Relations & Advertisements Division has been made a check-point. Therefore, HOD (PR & A) will be responsible for any violation of the above mentioned Presidential Order and it will be the duty of the concerned Head of the Department/Branch Manager to ensure its compliance.
3. This is issued with the approval of the competent authority.

  
30/08/2017

(Dr. Jagdish Prasad)

Chief Manager(OL) / OL Head

Copy to:

- **Executive Secretary to CMD**
- **PS to all Directors & CVO**
- **All Divisional Head / Branch Managers**
- **HOD (PR & A)**